

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोप आयोग

जयपुर जयपुर

(फार्म नं. ३)

परिवाद अन्तर्गत धारा ३५ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, २०१९

परिवाद संख्या १/२०२५

श्री १२३४५६ नाम उपभोक्ता पुत्र/पुत्री श्री १२३४५६
जिला जयपुर
.....
..... १२३४५६

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि श्री १२३४५६
पुत्र/पुत्री श्री १२३४५६ निवासी १२३४५६
..... ने इस जिला उपभोक्ता आयोग
के समक्ष एक परिवाद पेश किया है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

आपको एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के ३० दिवस
के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें एवं अपने बचाव में पेश करने वाले समस्त साक्ष्य एवं
दस्तावेजों को पेश करें।

आपको पुनः सूचित किया जाता है कि प्रकरण की सुनवाई दिनांक १९/५/२५
को १० बजे दिन में रखी गयी है। यदि आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि
द्वारा उपस्थित होने में असफल रहे तो उपर्युक्त सुनवाई की तारीख पर परिवाद का
एकपक्षीय निर्णय कर दिया जायेगा।

.....
अध्यक्ष
रीडर

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोप आयोग
जयपुर जयपुर

माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर

(तृतीय) जयपुर राजस्थान.

(फार्म नं० 3)

परिवाद अंतर्गत धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019

परिवाद संख्या ----- 49 / 2025

राव धनबीर सिंह नंबरदार

बनाम

थानाधिकारी एवं अभिलेख संरक्षक (नकल प्रभारी) पुलिस थाना
प्रागपुरा, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान ईमेल: -
psprgjpr@gmail.com ,
मोबाइल / व्हाट्सएप नंबर -8890224816

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राव धनबीर सिंह नंबरदार पुत्र राव देशराज सिंह निवासी मकान नंबर 02 / आई / 40 आर.के. पुरम, हाउसिंग बोर्ड कोटपुतली, जिला कोटपुतली बहरोड ने इस जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष एक परिवाद पेश किया है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

आपको एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें एवं अपने बचाव में पेश करने वाले समस्त साक्ष्य / दस्तावेज़ को पेश करें।

आपको पुनः सूचित किया जाता है कि प्रकरण की सुनवाई दिनांक 19/5/25 को 10:00 बजे दिन में रखी गई है। यदि आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने में असफल रहे तो उपर्युक्त सुनवाई की तारीख पर परिवाद का एकपक्षीय निर्णय कर दिया जावे जाएगा।

दिनांक : 8 / 4 / 2025

अध्यक्ष / रीडर
रीडर

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जयपुर तृतीय, जयपुर

जयपुर (तृतीय) जयपुर

माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर (तृतीय)

जयपुर राजस्थान.

(फार्म नं० 3)

परिवाद अंतर्गत धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019

परिवाद संख्या ----- 50 / 2025

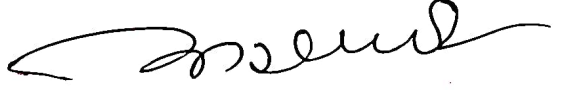
राव धनबीर सिंह नंबरदार बनाम कलेक्टर कोटपुतली जिला कोटपुतली बहरोड़ की कलेक्टर (अभिलेख संरक्षक) कोटपुतली जिला कोटपुतली बहरोड़.

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राव धनबीर सिंह नंबरदार पुत्र राव देशराज सिंह निवासी मकान नंबर 02 / आई / 40 आर.के. पुरम, हाउसिंग बोर्ड कोटपुतली, जिला कोटपुतली बहरोड़ ने इस जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष एक परिवाद पेश किया है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

आपको एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करे एवं अपने बचाव में पेश करने वाले समस्त साक्ष्य / दस्तावेज़ को पेश करें।

आपको सूचित किया जाता है कि प्रकरण की सुनवाई दिनांक 19/5/25 को 10:00 बजे दिन में रखी गई है। यदि आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने में असफल रहे तो उपर्युक्त सुनवाई की तारीख पर परिवाद का एकपक्षीय निर्णय कर दिया जावे जाएगा।

दिनांक 8/4/2025


अध्यक्ष / रीडर
रीडर
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जयपुर तृतीय, जयपुर
जयपुर (तृतीय) जयपुर